

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं010(1)चिस्वा/2/2018/एम-1103

जयपुर,दिनांक: 12-10-18


आदेश

माननीय न्यायालय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राज0 जयपुर द्वारा अपील संख्या 692/2017 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2017 की पालना में डॉ0 मोहम्मद युनुस अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, एम.बी.एस.अस्पताल, कोटा को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.08.2018 को मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ0 अंसारी के विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,



(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
- 2-संयुक्त निदेशक,पेंशन विभाग, कोटा।
- 3-संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जोन, कोटा।
- 4-उप विधि परामर्शी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
- 5-अधीक्षक, एम.बी.एस.अस्पताल, कोटा।
- 6- डॉ0 मोहम्मद युनुस अंसारी, चिकित्सा अधिकारी, एम.बी.एस.अस्पताल, कोटा।
- 7-कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव